संख्याः 2–212 / 2018–हि०प्र०वि०वि०(सा०)
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
(राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् 'ए' ग्रेड विश्वविद्यालय)
"सामान्य प्रशासन शाखा"

.....

प्रेषित,

1– आचार्य सिकन्दर कुमार, माननीय कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला–5
2– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, माननीय प्रति कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला–5
3– अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सचिव (वित्त), हि०प्र० सरकार, शिमला–2
4– सचिव (शिक्षा), हि०प्र० सरकार, शिमला–2
5– शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–1
6– आचार्य एस०के० महाजन, अधिष्ठाता, समाज–विज्ञान संकाय, हि०प्र०वि०,शिमला–5
7– आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय, हि०प्र०वि०, शिमला–5
8– श्री आशिश कुमार मिश्रा , प्राचार्य, राज० महाविद्यालय देहरी, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
9– श्री प्रमोद कुमार, प्राचार्य, राज० महाविद्यालय सीमा(रोहडू), जिला शिमला, हि०प्र०
10– आचार्य एस.एस. कंवर, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, हि०प्र०वि०, शिमला–5
11– श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, विधान सभा, बिलासपुर सदर निर्वाचन क्षेत्र, मकान नं.23 / 4, सैक्टर–2, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (हि०प्र०)
12– श्री बिपन कुमार, अधीक्षक, स्थापना शाखा, हि०प्र०वि०,शिमला–5
13– आचार्य एन.के. शारदा, मंगलयान कंगनाधार, फेज-III, शिमला–9
14– आचार्य वी.पी. शर्मा, वशिष्ट भवन, बीलो पुलिस पोस्ट समरहिल, शिमला–5
15– श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सह–आचार्य, पत्रकारिता विभाग, इक्डोल, हि०प्र०वि०, शिमला–5

दिनांकः शिमला–5, 03 OCT 2018 / 04

विषयः– **कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही।**

महोदय,

कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की द्वितीय नियमित बैठक जो दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न हुई की कार्यवाही आपके अवलोकनार्थ एवं पुष्टिकरण हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
(के.के. शर्मा)
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

पृष्ठांकन संख्याः सम । दिनांकः 03 OCT 2018 / 04

प्रतिलिपिः–

1 सचिव कुलाधिपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल, हि०प्र० राज भवन, शिमला को मद संख्या 8 से 14 की कार्यसूची सहित।
2– अधिष्ठाता अध्ययन / छात्र कल्याण / निदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र / वित्त अधिकारी / परीक्षा नियन्त्रक, हि०प्र०वि०, शिमला–5
3– समस्त संकायों के अधिष्ठाता / समस्त अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्ष, हि०प्र०वि०, शिमला–5
4– संयुक्त परीक्षक, स्थानीय लेखा विभाग / सहायक कुलसचिव (स्था०), हि०प्र०वि०, शिमला–5
5– प्राचार्य, हि०प्र०वि० सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र, शिमला–1
6– प्रभारी, हि०प्र०वि० वैब–साईट, हि०प्र०वि०, शिमला–5 को उपरोक्त कार्यवाही को विश्वविद्यालय वैब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
7– सहायक कुलसचिव(कुलपति कार्या०) / अनुभाग अधिकारी(कुलसचिव कार्या०),हि०प्र०वि०,शिमला।
8– सचिव कुलपति, हि०प्र०वि०, शिमला–5
9– रक्षक मिसिल ।

कुलसचिव

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय
'सामान्य प्रशासन शाखा'

.....

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की द्वितीय नियमित बैठक की कार्यवाही जो दिनांक 25 सितम्बर, 2018 को पूर्वाह्न 11:00 बजे आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुएः–

1– आचार्य राजिन्द्र सिंह चौहान, प्रति कुलपति

2– श्री नवनीत कुमार, उप–सचिव (शिक्षा), हि0प्र0 सरकार

3– डॉ0 अमरजीत कुमार शर्मा, निदेशक(उच्च शिक्षा), हि0प्र0 शिमला

4– आचार्य श्याम लाल कौशल, अधिष्ठाता, वाणिज्य एवं प्रबंधन संकाय

5– डॉ0 आशिथ कुमार मिश्रा, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय देहरी

6– श्री प्रमोद कुमार, प्राचार्य, प्रतिनिधि शैक्षणिक परिषद्

7– श्री सुभाष ठाकुर, माननीय विधायक, नामिती राज्य सरकार

7– श्री बिपन कुमार, प्रतिनिधि गैर–शिक्षक कर्मचारी

8– आचार्य एन.के. शारदा, नामिती माननीय कुलाधिपति

9– श्री अजय श्रीवास्तव, सह–आचार्य, पत्रकारिता विभाग (इक्डोल),

10–श्री के.के. शर्मा, हि.प्र.से.

–कुलसचिव
सदस्य–सचिव

मद संख्या–1: **कुलपति महोदय का वक्तव्य।**

......

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद् की वर्ष 2018 की दूसरी नियमित बैठक कुलपति महोदय ने सभी सम्माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

सर्वप्रथम कुलपति महोदय ने हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय आचार्य देव व्रत जी एवं हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमन्त्री, माननीय श्री जय राम ठाकुर जी का हार्दिक धन्यवाद किया

जिन्होंने उन्हें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्ति प्रदान की।

उन्होंने शैक्षणिक परिषद् से नवनियुक्त सदस्य श्री प्रमोद कुमार, प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय सीमा, रोहडू का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि विगत अवधि के दौरान विश्वविद्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम, बैठकें, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं:-

1. दिनांक 8 अगस्त, 2018 को खेलकूद परिषद् एवं युवा कार्यक्रम की 47वीं वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रुप में भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के आए प्राचार्यों और हिमाचल प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापकों के साथ भी बैठक आयोजित की गई।

2. दिनांक 14 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय के समिति कक्ष में सभी विभागों के विभागाध्यक्षों व संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की।

3. दिनांक 15 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय परिसर में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया।

4. दिनांक 16 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय सभागार में चतुर्थ श्रेणी व तकनीकी कर्मचारियों के साथ बैठक की।

5. दिनांक 20 अगस्त, 2018 को कुलपति कार्यालय में सभी छात्र संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

6. दिनांक 20 अगस्त, 2018 को कुलपति कार्यालय में मुख्य छात्रपाल व सभी होस्टलों के छात्रपालों से बैठक की।

7. दिनांक 23 अगस्त, 2018 को कुलपति कार्यालय में कार्यकारिणी परिषद्, कोर्ट सदस्य, अधिकारी संघ व तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

8. दिनांक 27 अगस्त, 2018 को कुलपति कार्यालय में निजी सचिव/आंशुलिपिक संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

9. दिनांक 28 अगस्त, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर में वन विभाग एवं विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी एवं विद्यार्थियों ने मिलकर वृक्षा-रोपण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री गोविन्द ठाकुर, माननीय वन मन्त्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौद्या रोपण किया।

10. दिनांक 28 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय सभागार में यू.आई.एल.एस. के "Envision II, 2018" वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

11. दिनांक 4 सितम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय सभागार में स्नातकोत्तर केन्द्र के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

12. दिनांक 4 सितम्ब, 2018 को ही कुलपति कार्यालय में केन्द्रीय छात्र संघ के चुनाव सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई।

13. दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को अर्थशास्त्र विभाग में अध्यापक दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक भोजन का भी आयोजन किया गया।

14. दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय में वित्त समिति की बैठक आयोजित की गई।

15. दिनांक 14 सितम्बर से 17 सितम्बर, 2018 को दिल्ली प्रवास के दौरान भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी से शिष्टाचार स्वरूप भेंट की तथा उनसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि एवं उद्बोधन देने हेतु आग्रह किया। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के माननीय मानव संसाधन मन्त्री, माननीय स्वास्थ्य मन्त्री, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री एवं माननीय जल संसाधन राज्य मन्त्री से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें विश्वविद्यालय की सभी समस्याओं से अवगत करवाया, जैसे विश्वविद्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र की मान्यता, होस्टल, स्वास्थय केन्द्र, परिसर व विभागों में जल आपुर्ति इत्यादि।

16. दिनांक 15 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ''स्वच्छता ही सेवा-2018'' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया जिसके तहत पूरे विश्वविद्यालय परिसर में अध्यापकों, कर्मचारियों एवं छात्रों द्वारा सफाई अभियान आरम्भ किया गया। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विभाग में बनाए गए ईको क्लब ने भाग लिया।

17. दिनांक 19 सितम्बर, 2018 को विश्वविद्यालय सभागार में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के मॉडल स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

18. दिनांक 20 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की तृतीय अंतर महाविद्यालय निशानेबाजी प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।

19. दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में रक्त दान शिविर का आयोजन किया गया।

तत्पश्चात् उन्होंने कुलसचिव से आग्रह किया कि वे आज के लिए प्रस्तावित मदों को परिषद् के सम्मुख चर्चा एवं निर्णय के लिए प्रस्तुत करें।

<u>मद संख्या–2:</u> कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 29.03.2018 एवं 06.06.2018 में लिए गए निर्णयों का पुष्टिकरण।

....

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 29.03.2018 एवं 06. 06.2018 बैठकों में लिए गए निर्णयों का निम्न टिप्पणी/संशोधन के साथ पुष्टिकरण किया:–

<u>दिनांक 29.03.2018</u>

<u>(मद संख्या–23)(11)</u>: कुलसचिव ने कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 29–3–2018 को हुई बैठक में मद संख्या–23 के अंतर्गत वित्त समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल में कार्यरत 14 जे.बी.टी. शिक्षकों, 01 शिक्षक शास्त्री तथा 01 पी.टी.आई. शिक्षक को टी.जी.टी. पद के लिए स्तरोन्नति हेतु जो TET के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हों, TET की शर्त में छूट प्रदान करने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया और परिषद् को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या:EDN-C-A(3)12/2007-L दिनांक 31.05.2012 के अंतर्गत टी. जी.टी. के पद पर पदोन्नति हेतु शिक्षक पात्रता योग्यता (TET) को अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी सूचित किया कि ये शिक्षक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:61–03/**2010/सनसीटीई(एन एंड एस)** दिनांक 23–8–2010 के अनुसार TET की अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करते हैं। उन्होंने इसके दृष्टिगत सूचित किया कि सम्बन्धित शिक्षक की पात्रता पूर्ण न होने की दशा में इन्हें TGT के पद पर स्तरोन्नत नहीं किया जा सकता।

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तृत एवं गहन चर्चा के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला कि यद्यपि इन शिक्षकों ने प्रदेश सरकार की उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 31–5–2012 के अंतर्गत शिक्षक पात्रता योग्यता (TET) उतीर्ण नहीं की है तथापि यदि मॉडल स्कूल में कार्यरत यह शिक्षक टी.जी.टी. पद हेतु प्रदेश सरकार के भर्ती एवं पदोन्नति नियम–2009 के अनुरूप अन्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हैं व इनकी नियुक्ति विद्यालय में वर्ष 2009 से पूर्व की गई है इस प्रकार TGT के पद पर स्तरोन्नति प्रदान की जा सकती है।

अतः कार्यकारिणी परिषद् ने मद पर गहन विचार–विमर्श के उपरांत विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.6 में निहित प्रावधान के अनुरूप अपनी पिछली बैठक दिनांक 29–03–2018 में मद संख्या–23 के अंतर्गत लिए गए निर्णय को पुनः अनुमोदित किया व मद का पुष्टिकरण किया।

मद संख्या–3: **कार्यकारिणी परिषद् की पिछली बैठकों दिनांक 29.03.2018 एवं 06.06.2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण।**

कार्यकारिणी परिषद् ने पिछली बैठकों दिनांक 29.03.2018 एवं 06.06.2018 में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई को नोट कर अनुमोदित किया।

मद संख्या–4: **कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–12–सी(7) में निहित शक्तियों के अन्तर्गत लिए गए निर्णयों से अवगत करवाने बारे।**

.....

कुलपति महोदय ने उपरोक्त निहित शक्तियों के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की है।

मद संख्या–5: **कार्यकारिणी परिषद् के सम्माननीय सदस्यों से यदि कोई मद प्राप्त हुई है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद के सम्माननीय सदस्यों से निर्धारित समयावधि के अंतर्गत कोई मद प्राप्त नहीं हुई है।

मद संख्या–6: **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वर्ष 2014–2015 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिनियम, 1970 (संशोधित) धारा–29 के प्रावधानों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् की बैठक के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने बारे।**

....

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) धारा–29 के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय के वर्ष 2014–2015 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को अनुमोदित कर विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या–7: **शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 30.07.2018 की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।**

......

कार्यकारिणी परिषद् ने शैक्षणिक परिषद् की दिनांक 30.07.2018 को हुई बैठक की सिफारिशों को **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया।

सदस्य आचार्य श्याल लाल कौशल ने प्रबन्धन अध्ययन विषय में पीएच.डी. में प्रवेश हेतु **प्रबंधन अध्ययन विषय** में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ (स्नातकोत्तर) की दिनांक 19–6–2018 को हुई बैठक में जे.आर.एफ. व नैट उतीर्ण छात्रों को बिना प्रवेश परीक्षा के पीएच.डी. में प्रवेश की सिफारिशों जिसे शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति ने अनुमोदित किया है को मौखिक तौर पर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष चर्चा हेतु उठाया और परिषद से इन्हें अनुमोदित करने का आग्रह किया। जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया कि शैक्षणिक परिषद् की स्थायी समिति की सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तुत किया जाए ताकि सिफारिशों पर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।

<u>मद संख्या–8:</u> **विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 37 के प्रावधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17 कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदन हेतु।**

......

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–37 के प्रावधानों के अनुरूप के विश्वविद्यालय के वर्ष 2016–17 के वार्षिक प्रतिवेदन को अनुमोदित कर विश्वविद्यालय कोर्ट के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–9:</u> **To place before the Executive Council the matter of granting/ allowing 50% fee consession/ refund to the wards of H.P. University employees admitted on merit against NRI/ NRI sponsored seats/ Self-Financing Courses who retired from the University Services in mid term of the study course.**

कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय कर्मचारियों के आश्रितों (wards) जिन्होंने स्वयं–पोषित योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में वरीयता के आधार पर प्रवेश पाया है को मध्यावधि में कर्मचारी की सेवानिवृत्ति उपरांत भी उक्त पाठ्यक्रम के पूर्ण होने तक 50% फीस माफी का लाभ मिलता रहेगा। परिषद् ने यह भी निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययन विभागों/संस्थानों में कर्मचारियों के आश्रितों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश में उक्त 50% फीस माफी का लाभ देय नहीं होगा।

<u>मद संख्या–10:</u> **डॉ० चन्द्र मोहन परशीरा, आचार्य, व्यवसायिक अध्ययन संस्थान के पक्ष में जीवन वृत उन्नति योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य एवं आचार्य के पद पर क्रमशः दिनांक 22.07.2013 एवं 22.07.2016 के स्थान पर हुई पदोन्नति को संशोधित कर क्रमशः दिनांक 09.10.2013 एवं दिनांक 09.10.2016 से करने हेतु प्रकरण को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के संबंध में।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किए गए परिवेक्षण के आलोक में डॉ० चन्द्र मोहन परशीरा की क्रमशः सह–आचार्य एवं आचार्य के पद पर की गई पदोन्नति की तिथियों को दिनांक 22.07.2013 एवं 22.07.2016 के स्थान पर दिनांक 09.10.2013 एवं 09.10.2016 संशोधित करने हेतु अनुमोदित किया।

<u>मद संख्या–11:</u> **कार्यकारिणी परिषद् द्वारा मद संख्या 4 दिनांक 17.04.2017 को लिए गए निर्णय के अनुरूप आचार्य सुनील देष्टा, विधि विभाग द्वारा उपभोग किये गये असाधारण अवकाश(बिना वेतन के) को लोकहित में परिवर्तित करने एवं तदानुसार वितिय लाभ प्रदान करने की अवधि को परिशोधन हेतु कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करने के संदर्भ में।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने मामले पर विस्तार से चर्चा के उपरांत अपनी पिछली बैठक दिनांक 17–04–2017 में मद संख्या–4 तथा बैठक दिनांक 06–06–2018 में मद संख्या–3 के अंतर्गत लिए गए निर्णय के आलोक तथा इसमें समरूपता लाने के लिए आचार्य कमलजीत सिंह व आचार्य सुनील देष्टा आचार्य विधि विभाग द्वारा क्रमशः दिनांक 28–07–2006 से 31–07–2008 तथा 08–06–2006 से 18–8–2006 तक उपभोग की गई असाधारण अवकाश (बिना वेतन के) की अवधि को अध्यादेश 36.4(d) में निहित परन्तुक–2 के अंतर्गत लोकहित में परिवर्तित करने तथा अन्य वित्तीय लाभ पूर्व व्यापी प्रभाव से प्रदान करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की।

<u>मद संख्या–12:</u> **हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की दिनांक 11.09.2018 को सम्पन्न हुई बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट कार्यकारिणी परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने वित्त समिति की दिनांक 11–09–2018 को बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट को निम्न टिप्पणी के साथ **संलग्नक** के अनुरूप अनुमोदित किया:–

<u>(मद संख्या–37)</u>: सदस्य श्री बिपन कुमार ने कहा कि विश्वविद्यालय के यू.आई.आई.टी. संस्थान में प्रोग्रामर का पद जिस पर श्रीमती श्वेता राजपूत को नियुक्ति दी गई है रू0 15600–39100+5000 ग्रेड पे वेतनमान प्रदान किया गया। जबकि विश्वविद्यालय परीक्षा कम्प्यूटर केन्द्र में नियुक्त प्रोग्रामरों को वित्त समिति की रू0 5400/– ग्रेड पे प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रोग्रामरों के पद पर कार्यरत भिन्न–भिन्न प्रोग्रामरों के लिए दोहरा मापदण्ड अपनाना तर्कसंगत नहीं है जिससे मामले में कानूनी विवाद उत्पन्न होने की

प्रवल संभावना है। अतः अनावश्यक कानूनी विवाद एवं एक पद पर कार्यरत व्यक्तियों के समान वेतन प्रदान किया जाना उचित होगा। उन्होंने यू.आई.आई.टी. संस्थान में नियुक्त श्रीमती श्वेता राजपूत को भी विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य प्रोग्रामरों की तर्ज पर उक्त वेतनमान में रू0 5400/– ग्रेड पे प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण को वित्त समिति के पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत करने का आग्रह किया। जिस पर कुलपति महोदय ने आश्वस्त किया कि मामले में जो भी तर्कसंगत होगा तदानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

(अतिरिक्त मद संख्या–4): सदस्य श्री बिपन कुमार ने कहा कि वित्त समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुसरण में चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति कोटे में आबंटित 30 प्रतिशत एकमुश्त छूट (10 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त एल.डी.आर. कोटे का 20 प्रतिशत एल.डी.आर. सहित) लिपिक संवर्ग के कुल स्वीकृत/सृजित पदों का पदोन्नति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अंतर्गत व समग्र लिपिकीय वर्तमान में उपलब्ध 232 पदों पर पदोन्नति की जाए।

कुलसचिव ने बैठक में सूचित किया कि सर्वश्री सुमित कुमार, राहुल शर्मा, संजय वर्मा, हेमेन्द्र चंदेल, सूर्यकांत, प्रकाश ठाकुर, राहित एवं अरनव सूद, हिमाचल प्रदेश बेरोजगार युवा द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश के समक्ष चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 प्रतिशत आरक्षित कोटे के विरूद्ध की जा रही पदोन्नति व लिपिकों आदि की सीधी भर्ती से सम्बन्धित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसे पंजीयक (नियम)महोदय, माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा उचित कार्रवाई हेतु उनके कार्यालय के पत्र संख्याःHHC/PIL/F-2467/06-2018/-9765 दिनांक 2/3–07–2018 द्वारा कुलसचिव को प्रेषित किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में

लम्बित ओ.ए. संख्या:3412/2018 दिनांक 08–06–2018 शीर्षक यशपाल शर्मा एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में पारित अन्तरिम आदेशों का मामला भी परिषद् के समक्ष रखा।

उन्होंने यह भी सूचित किया कि उक्त दोनों मामलों में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की दिनांक 11–09–2018 को हुई बैठक की कार्यसूची में भी उक्त का उल्लेख किया गया है तथा आग्रह किया कि उपरोक्त वर्णित मामलों में माननीय न्यायालयों के आदेशों के दृष्टिगत निर्णय लिया जाए।

कार्यकारिणी परिषद् ने विस्तृत चर्चा के उपरांत वित्त समितिकी दिनांक 11–09–2018 को हुई बैठक में की गई संस्तुति के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में उल्लेखित 10 प्रतिशत पदोन्नति व 20 प्रतिशत एल.डी.आर. कोटे के अंतर्गत कुल 30 प्रतिशत लिपिक वर्गीय समस्त स्वीकृत 232 पदों में से प्रतिशतता के आधार तथा माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश व माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में लम्बित मामलों के दृष्टिगत पदोन्नति करने का निर्णय लिया।

<u>मद संख्या–13:</u> **हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, शिमला द्वारा दिनांक 10.10.2017 को OA नंबर 1764/2017 में जारी किए गए आदेश, जिसमें डॉ० आंकाक्षा सूद को प्रतीक्षा सूची में एक नंबर पर होने पर, मनोविज्ञान विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने हेतु आदेश जारी किए गए थे, का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष विचारार्थ एवं आगामी आदेशार्थ प्रस्तुत है।**

......

मद पद चर्चा से पूर्व कुलसचिव ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत करवाया कि विभिन्न विषयों में चयन समितियों की सहायक–आचार्य के पद हेतु कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 23–09–2016 को हुई बैठक में प्रस्तुत की गईं सिफारिशें जिसमें डॉ0 अकांक्षा सूद, मनोविज्ञान विभाग में सहायक आचार्य के पद

हेतु प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर थीं, डॉ0 ऋतु अग्रवाल के अनाधिकृत व स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने पर डॉ0 अकांक्षा सूद ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में OA No. 1764/2017 के अंतर्गत उन्हें प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर होने की स्थिति में नियुक्ति देने के लिए याचिका दायर की जिस पर माननीय प्रशासनिक अधिकरण ने विश्वविद्यालय को याचिकाकर्ता की याचिका पर 30 दिन के भीतर नियुक्ति पर विचार करने के आदेश पारित किए।

माननीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा पारित आदेशों की अनुपालना में मामला कार्यकारिणी परिषद् की दिनांक 22–01–2018 व 29–03–2018 को हुई बैठकों में रखा गया जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने दिनांक 29–3–2018 को हुई बैठक में मद संख्या–25 के अंतर्गत लिए गए निर्णय में डॉ0 ऋतु अग्रवाल को विश्वविद्यालय की सेवाओं से हटाने एवं माननीय प्रशासनिक अधिकरण द्वारा दिनांक 10–10–2017 के तहत पारित आदेशों को माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती देने का निर्णय लिया। तदनुसार विश्वविद्यालय ने माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश में याचिका संख्या–815/2018 दायर की गईं जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 17–04–2018 को निम्न निर्णय देते हुए खारिज कर दिया:

> "Learned Counsel for the petitioner, under instructions seeks permission to withdraw the present petition, reserving liberty to approach the Tribunal seeking review of the order.
>
> As such, present petition is disposed of as withdrawn with the liberty to the writ petitioner to take such steps, as may be so advised in accordance with law.
>
> ....."

माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा पारित उक्त आदेशों के अनुरूप माननीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष पुनः समीक्षा याचिका दायर की गई तथा माननीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 10–10–2017 के आदेशों की अवमानना में प्राप्त नोटिस की अनुपालना में तत्कालीन कुलसचिव आचार्य एस.एस. नारटा व कार्यवाहक कुलसचिव डॉ0जे0एस0नेगी दिनांक 31–08–2018 व वर्तमान कुलसचिव दिनांक 17–09–2018 को माननीय प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष उपस्थित हुए जिसमें उन्होंने माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि

मामला कार्यकारिणी परिषद् की आगामी बैठक दिनांक 25–9–2018 में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा क्योंकि कार्यकारिणी परिषद् ही विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.7 के अंतर्गत सक्षम है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण द्वारा OA No. 1764/2017 में दिनांक 10–10–2017 को पारित आदेश व उक्त आदेशों की अवहेलना में जारी अवमानना नोटिस पर कार्यकारिणी परिषद् द्वारा विस्तृत एवं गहन चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अध्यादेश 35.6 में निहित प्रावधान का उपयोग करते हुए डॉ0 अकांक्षा सूद जो मनोविज्ञान विभाग की प्रतीक्षा सूची में प्रथम स्थान पर थीं मनोविज्ञान विभाग में रिक्त पड़े सहायक आचार्य के पद के विरूद्ध नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया।

मद संख्या–14: **कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष आचार्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा, शारीरिक शिक्षा विषय की जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत सह आचार्य के पद पर पदोन्नति तिथि पुनः निर्धारण करने बारे।**

.....

कार्यकारिणी परिषद् ने छानबीन/पात्रता समिति तथा कुलपति द्वारा गठित समिति में विरोधाभास होने के फलस्वरूप आचार्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा, सह–आचार्य, शारीरिक शिक्षा विषय में जीवनवृत उन्नति योजना के अंतर्गत आचार्य के पद पर पदोन्नति की तिथि का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्ष 2000 के नियम के अनुसार किए जाने के लिए कुलपति महोदय को निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया।

......

यथा–स्थान की गई चर्चाः–

सदस्य श्री सुभाष ठाकुर माननीय विधायक ने डॉ0 प्रकाश चन्देल का हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सांध्यकालीन अध्ययन केन्द्र से स्नातकोत्तर केन्द्र विश्वविद्यालय में स्थानान्तरण का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा। जिस पर कुलसचिव महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि मामले के परीक्षण हेतु आचार्य एन.के. शारदा सदस्य कार्यकारिणी परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और मामले में गठित समिति द्वारा की गई सिफारिशों को कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों एवं बाहर से आने बाले आगुन्तकों के लिए जलपान एवं खाने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है अतः उन्होंने आग्रह किया कि विश्वविद्यालय परिसर में एक अच्छी कैन्टीन की व्यवस्था की जाए ताकि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों एवं आगुन्तकों के लिए जलपान एवं भोजन की उचित सुविधा मिल सके। जिस पर कुलपति महोदय ने अवगत कराया कि यह मामला पहले से ही उनके संज्ञान में है और वे विश्वविद्यालय परिसर में अच्छी कैन्टीन की व्यवस्था करने के लिए प्रयासरत हैं।

सदस्य श्री आशिथ कुमार मिश्रा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने देहरी महाविद्यालय की अधिसूचना WRS राजकीय महाविद्यालय देहरी जिला कांगड़ा के नाम से जारी की है जबकि विश्वविद्यालय द्वारा इस महाविद्यालय से समस्त पत्राचार राजकीय महाविद्यालय देहरी के नाम से किया जा रहा है जो प्रदेश सरकार की अधिसूचना के विपरीत है। अतः उन्होंने आग्रह किया कि उक्त महाविद्यालय से सम्बन्धित विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड में आवश्यक सुधार कर भविष्य में महाविद्यालय से समस्त पत्राचार WRS राजकीय महाविद्यालय देहरी जिला कांगड़ा के नाम से किया जाए। जिस पर कुलसचिव महोदय ने आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालय द्वारा मामले में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय में बी.जे.एम.सी. का नियमित पाठ्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है अतः विश्वविद्यालय द्वारा बी.जे.एम.सी. का नियमित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मामला प्रदेश सरकार से उठाया जाए। जिस पर कुलसचिव ने कहा कि उक्त पाठ्यक्रम को नियमित आधार पर प्रारम्भ करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति लेने के उपरांत आधारभूत ढांचे तथा नियमित संकाय की आवश्यकता होगी, जिस हेतु आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत मामला संबधित निकायों अर्थात बोर्ड ऑफ स्टडीज, संकाय, शैक्षणिक परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। तथापि कार्यकारिणी परिषद् ने उपरोक्त पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए सैद्धान्तिक रूप में अपनी स्वीकृति प्रदान की।

सदस्य श्री प्रमोद कुमार चौहान ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा एड–ऑन–कोर्सिस का वार्षिक शुल्क रु 1200/– रूपये है जबकि इन कोर्सो की परीक्षा शुल्क 1800/– निर्धारित किया गया है। उन्होंने इस परीक्षा शुल्क को कम करने का आग्रह किया ताकि इन कोर्सों के प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या में बृद्धि हो सके। जिस पर कुलसचिव ने मामले का परीक्षण कर आगामी कार्रवाई करने हेतु आश्वसत किया।

सदस्य डॉ0 अमरजीत कुमार शर्मा एवं शिक्षा निदेशक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा महाविद्यालयों को प्रदान किए जाने बाले अनुदान के लिए महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय से स्थायी संबद्धता प्राप्त होने का मामला कार्यकारिणी परिषद् उठाया और कहा कि महाविद्यालयों को स्थायी संबद्धता के बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मिलने बाला अनुदान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अतः उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् से विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों को स्थायी संबद्धता प्रदान करने का आग्रह किया। जिस पर कुलसचिव ने परिषद् को अवगत कराया कि जिन महाविद्यालयों से आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरांत स्थायी संबद्धता हेतु आवेदन प्राप्त हो रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय अध्यादेश में निहित प्रावधान एवं नियमानुसार कार्यकारिणी परिषद् के अनुमोदनोपरांत स्थायी संबद्धता प्रदान की जा रही है।

सदस्य आचार्य एन.के शारदा ने अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता न प्रदान करने और इसके कारण उक्त केन्द्र में छात्रों के प्रवेश न मिल पाने का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया जिस पर कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत करवाया कि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्राचार का प्रत्युत्तर न देने के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है लेकिन वे स्वयं दो–तीन बार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में जाकर इस मामले को संबधित अधिकारियों के उठा चुके हैं और शीघ्र ही इस समस्या का कोई उचित समाधान समाधान निकाल कर उक्त केन्द्र में छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया आरम्भ की जा रही है।

सदस्य श्री बिपन कुमार ने डॉ0 हेम राज शर्मा, उप कुलसचिव (सेवानिवृत) जिन्होंने अपने दस्तावेजों में अपनी जन्म तिथि ज्यादा होने के आधार पर माननीय हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, शिमला में OA No.4309 of 2018 दायर की थी जिस पर माननीय न्यायालय ने उनकी सेवानिवृति पर रोक लगाई थी। विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति महोदय के अनुमोदनापरांत इस विशेष प्रकरण में अपना पक्ष रखने और इस रोक को हटाने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बी.सी. नेगी को नियुक्त किया था। उक्त मामले में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने के लिए श्री बी.सी. नेगी ने रू0 1–00 लाख शुल्क की मांग की थी जिसे कुलपति महोदय ने अपना अनुमोदन प्रदान किया था। अतः उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा उक्त मामले में श्री बी.सी. नेगी को की गई विधिक शुल्क की अदायगी की कार्योत्तर स्वीकृति का प्रकरण कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष रखा। जिस पर चर्चा उपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने उक्त रू0 1–00 लाख की अदायगी को अपनी कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

इसके अतिरिक्त श्री बिपन कुमार ने डॉ0 मृदुल शारदा सहायक आचार्य, अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केंद्र के पक्ष में वेतन संरक्षण जिसे कार्यकारिणी परिषद् अपनी पिछली बैठक दिनांक 06–06–2018 को मद संख्या–12 के अंतर्गत अनुमोदित किया था विश्वविद्यालय में स्थित स्थानीय लेखा

परीक्षा विभाग उनके वेतन निर्धारण पर अनावश्यक आपत्तियां लगा रहा है जो कि कार्यकारिणी परिषद् की गरिमा को चुनौती देने वाला निर्णय है। अतः उन्होंने कार्यकारिणी परिषद् से आग्रह किया मामले की गम्भीरता को देखते हुए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए जाएं। जिस पर कुलपति महोदय ने कहा कि वे स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों से वार्ता कर मामले का उचित समाधान करेंगे।

सदस्य श्री बिपन कुमार ने विश्वविद्यालय में अनुसचिवीय कर्मचारी (Ministerial staff) के इलावा विश्वविद्यालय में कार्यरत शेष श्रेणियों को सचिवालय वेतन प्रदान करने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया, जिस पर कार्यकारिणी परिषद् ने निर्णय लिया कि मामले में अलग से मद पूर्ण तथ्यों सहित परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाए ताकि मामले में कोई उचित निर्णय लिया जा सके। उन्होंने विश्वविद्यालय में वित्त संचालन के लिए ERP प्रणाली जो प्रारम्भ की जा रही है को सुचारू रूप से लागू करने का मामला भी कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया। जिस पर कुलसचिव ने अवगत कराया कि उक्त प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है जिसमें कुछ समय लग सकता है।

सदस्य श्री अजय श्रीवास्तव ने विश्वविद्यालय परिसर में चलाए जा रहे अनाधिकृत ढावों का मामला कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष उठाया जिस पर कुलसचिव महोदय ने अवगत कराया कि विश्वविद्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप से चलाए जा रहे ढावों को हटाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा मामला आयुक्त, नगर निगम शिमला, पुलिस अधीक्षक शिमला व मुख्य बन अरण्यपाल से उठाया गया है।

तदोपरांत कार्यकारिणी परिषद् ने विश्वविद्यालय के विभिन्न छात्रों संगठनों द्वारा सौंपे गए मांग–पत्रों पर मांग–बार विस्तार से चर्चा की। छात्र संगठनों द्वारा उठाई गयी मांगों जिसमें मुख्य मांग पीएच.डी. शुल्क जो वर्तमान में 800/– रूपये लिया जा रहा है में कटौती करने पर चर्चा के उपरांत कार्यकारिणी

परिषद् ने मामले के परीक्षण हेतु निम्न समिति का गठन किया:–

1–	अधिष्ठाता अध्ययन	–अध्यक्ष
2–	कुलसचिव	–सदस्य
3–	वित्त अधिकारी	–सदस्य
4–	परीक्षा नियन्त्रक	–सदस्य
5–	आचार्य कमलजीत सिंह	–सदस्य

छात्र संगठनों द्वारा सौंपे गए मांग–पत्रों जिसमें विश्वविद्यालय में वाई–फाई सुविधा उपलब्ध करवाने पर कुलपति महोदय ने कहा कि उनका यह प्रयास है कि विश्वविद्यालय परिसर में वाई–फाई सुविधा दिसम्बर, 2018 तक उपलब्ध करवा दी जाएगी। कार्यकारिणी परिषद् विभिन्न छात्र संगठनों द्वारा अन्य मांगों पर सौंपे गए मांग–पत्रों पर चर्चा के उपरांत सम्बन्धित शाखाओं/विभागों को आगामी कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

जहां तक विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भरने का सम्बन्ध है गैर–शिक्षकों कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए विश्वविद्यालय प्रयासरत है जबकि शिक्षकों के पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कुलपति महोदय ने परिषद् को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय में Placement Officer का एक पद सृजित करने के लिए मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् समक्ष यह प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय में कुछ नए पाठ्यक्रम प्रारम्भ भी प्रारंभ किए जाएंगे लेकिन उनका यह प्रयास रहेगा कि विश्वविद्यालय जो भी नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाएं उनके लिए आधारभूत ढांचा मौजूद हो और वे वास्तविक रूप में और नियमित रूप से चलाए जाएं यह पहले सुनिश्चित किया जाएगा। कुलपति महोदय द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर कार्यकारिणी परिषद् ने एकमत से अपनी सहमति जताई।

बैठक के अन्त में कुलपति महोदय ने कार्यकारिणी परिषद् को अवगत कराया कि देश व प्रदेश में प्रारम्भ किए गए स्वच्छता अभियान को साकार रूप देने के लिए विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों एवं अध्ययन विभागों के विभागाध्यक्षों/निदेशकों/छात्रापालों को भी निर्देशित किया जाएगा कि वे अपने विभाग/भवन की परिधि में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 8–10 कर्मचारियों का समूह बनाकर कम से कम सप्ताह में एक बार स्वच्छता अभियान को वास्तविक रूप देने तथा इसे वास्तव में सफल बनाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावासों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे, यह उनका प्रयास रहेगा।

अन्त में बैठक पीठ को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ सम्पन्न हुई।

(के.के.शर्मा) हि.प्र.से.
कुलसचिव
सदस्य–सचिव

अनुमोदित/पुष्टिकरण

कुलपति

संलग्नक मद संख्या- 7

नस्ति संख्या 2–1 / 2012 हि.प्र.वि.वि.(शै.)
शाखाः शैक्षणिक शाखा
प्रभारीः उप–कुलसचिव (शै.)

मद संख्या- 7: शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 30–07–2018 की सिफारिशें कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु मामला प्रस्तुत करने बारे।

(विवरण लेखः शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 30–07–2018 में लिए गए निर्णयों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है जो निम्न प्रकार से है:–

मद संख्या 5:– आयुर्विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक 24.03.2018 को क्रम संख्या–3 में प्रस्तावित पाठयक्रम संशोधनों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश मे शामिल करने का मामला शैक्षणिक परिषद / शैक्षणिक परिषद की स्थायी समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने आयुर्विज्ञान की पाठय समिति व संकाय की बैठक दिनांक 24.03.2018 को क्रम संख्या–3 में अध्यादेश मे प्रस्तावित संशोधनों को विश्वविद्यालय के अध्यादेश मे शामिल करने हेतु संलग्नको के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की। (संलग्नक "क")

अनुपूरक मदें:–

मद संख्या 1:– शैक्षणिक परिषद के समक्ष अध्यादेश 14-B.2, 14-B.4, 14-B.6, 14-B.9 में संशोधन हेतु मामला शैक्षणिक परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने दंत विज्ञान की पाठय समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 व दंत संकाय समिति की बैठक दिनांक 16.07.2018 में क्रम संख्या 1 से 5 के अध्यादेश में प्रस्तावित संशोधनों 14-B.2 (i),(iii),(iv), 14-B.4 , 14-B.6, (i) एवं 14-B.9(iv) को विश्वविद्यालय के अध्यादेश मे शामिल करने हेतु संलग्नको के अनुसार अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।
(संलग्नक " ख")

मद संख्या 2:– To place before the Academic Council the Item No. 1 (i) & (ii) of the proceeding of the faculty of Social Sciences and approved by the Faculty of Social Sciences vide its meeting held on 04-05-2018 w.r.t. Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies and Amendments/ Addition to ordinance in Ambedkar Chair.

....

शैक्षणिक परिषद ने उक्त मामले मे विस्तारपूर्वक चर्चा कर उपरोक्त (क) प्रस्तावित पाठयक्रम Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies को पाठयसमिति की बैठक दिनांक 12.12.2017 की क्रम संख्या 1 तथा अध्यादेश में संशोधन क्रम संख्या 2 में प्रस्तावित किया गया है जिसे सामाजिक विज्ञान संकाय की बैठक दिनांक

04.05.2018 में कम संख्या (i) व (ii) में पारित किया गया है को संलग्नको के अनुसार अपना अनुमोदन शैक्षणिक सत्र 2018–19 से प्रदान किया तथा प्रस्तावित संशोधनों को कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की।

(ख) शैक्षणिक परिषद ने इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया कि प्रस्तावित पाठयक्रम को किस विभाग के अन्तर्गत पढाया जाना है इस मामले में एकरूपता लानें बारे उचित निर्णय लेने के लिए सर्वसम्मति से निम्न समिति का गठन किया ताकि समिति वर्तमान में चल रहे तीनों पीठों के पाठयकमों एवं किस मूल विभाग द्वारा संचालित किया जाए के बारे में भी अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी।

समिति :–

1. अधिष्ठाता अध्ययन हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	अध्यक्ष
2. अधिष्ठाता विधि संकाय हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य
3. अधिष्ठाता सामाजिक संकाय हि.प्र.वि.वि. शिमला–5.	सदस्य

शैक्षणिक परिषद द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उपरोक्त समिति अपनी अनुसंशाओं को माननीय कुलपति महोदय के समक्ष जल्द से जल्द प्रस्तुत करें।

(संलग्नक "ग")

मद संख्या 4:– बी.एच.एम.एस. पाठयकम में सी.सी.एच. के नियमों के आधार पर विश्वविद्यालय अध्यादेश अध्याय 14 में उपधारा 14-A-31-A (B)(7) में संशोधन हेतु की गई सिफारिश शैक्षणिक परिषद के अवलोकनार्थ अनुमादन हेतु प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने होम्योपैथी की पाठयसमिति की बैठक दिनांक 20.07.2018 व आयुर्वेद व होम्योपैथी संकाय की बैठक दिनांक 20.07.2018 में प्रस्तुत सिफारिशों को संलग्नक के अनुसार अवलोकन कर विश्वविद्यालय अध्यादेश के अध्याय में प्रस्तावित संशोधन 14-A-31-A (B)(7) को अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की। (संलग्नक "घ")

मद संख्या 7:– माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हि.प्र.वि.वि. के विभिन्न संकायों के अधिष्ठाताओं/विभागाध्यक्षों/निदेशकों/संस्थानों की बैठक दिनांक 13.06.2018 में लिए गए निर्णयों जिसमें स्नातक स्तर में, सत्र प्रणाली को परिवर्तित कर वार्षिक प्रणाली शैक्षणिक सत्र 2018–19 के अनुसार नियमों का निर्धारण करने की सिफारिशें शैक्षणिक परिषद् की बैठक के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

....

शैक्षणिक परिषद ने उक्त विषय में माननीय कुलपति महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक 13.06.2018 जिसमें स्नातक स्तर में, सत्र प्रणाली को परिवर्तित कर, वार्षिक प्रणाली शैक्षणिक सत्र 2018–19 के अनुसार

निर्धारित नियमावली का संलग्नको सहित अवलोकन कर अपना अनुमोदन प्रदान किया तथा कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की संस्तुति की। (संलग्नक "ड़")

विचार बिन्दुः शैक्षणिक परिषद की नियमित बैठक दिनांक 25–02–2016 में लिए गए निर्णयों जिन्हें कार्यकारिणी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने की सिफारिश की गई है कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

संलग्नक-क मद संख्या-7(5)

INDIRA GANDHI MEDICAL COLLEGE SHIMLA-171001.

Amendments of B.Sc. Medical Technology (Renal Dialysis Technology) Required to be incorporated in the First Ordinance of

HIMACHAL PARDESH UNIVERSITY

NO.	EXISTING	PROPOSED
1.	Under ordinance 1.3 under faculty of Medical Sciences Faculty of Medical Sciences Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S) Master of Surgery (M.S.) Doctor of Medicine (M.D.) B.Sc. Medical Technology (Radiology & Imaging) B.Sc. (Medical Technology (Anesthesia & Operation Theatre Techniques)	For ordinance 1.3 under faculty of Medical Sciences The following shall be added **B.Sc. Medical Technology (Renal Dialysis Technology)**
2.	**Under ordinance 1.4 eligibility of faculty of Medical Sciences** B.Sc. Medical Technology (Laboratory) B.Sc. Medical Technology (Radiology & Imaging) B.Sc. Medical Technology (Anesthesia & Operation Theatre Techniques) 1. Eligibility: Candidate must have passed 10+2 examination of any recognized Board with Medical Group with 50% marks in aggregate including English and 40% marks in case of SC/ST candidates.	**Under ordinance 1.4 eligibility of faculty of Medical Sciences** The following shall be added **B.Sc. Medical Technology (Renal Dialysis Technology)** 1. Eligibility: Candidate must have passed 10+2 examination of any recognized Board with Medical Group with 50% marks in aggregate including English and 40% marks in case of SC/ST candidates. Provided that in-service candidates they must have essential qualifications at the time of appointment of relevant cadre i.e. :-

संलग्नक - अ मद संख्या - 7

Provided that in-service candidates they must have essential qualifications at the time of appointment of relevant cadre i.e. :- (a) Matric with Service. (b) Diploma/Certificate course in concerned subject i.e. Lab Technology, Radiology, Anesthesia, Dialysis awarded DHS or DME and minimum ten years experience in Govt. service in Health & Family Deptt. and Ayurveda Deptt. of Himachal Pradesh. OR Must have passed 10+2 examination of any recognized University/Board with 5 years experience in Health & Family Welfare Department and Ayurveda Deptt. in the concerned specialties (Lab Techniques/Assistant Radiology/OTA) in which the applicant intents to compete. OR All the interested candidates promoted from the post of Laboratory Assistant to the post of Laboratory Technicians who passed Matric with science examination from any recognized University/ Board and having 10 years experience as Laboratory technicians in Govt. service in the Health & Family Welfare Deptt. and Ayurveda Deptt. of Himachal Pradesh. 2. **Age:** A candidates should have attained minimum age of 17 years and maximum age of 25 years as on 31st December of the year concerned. Provided that the maximum age limit shall not be applicable in case of in-service candidates.	(a) Matric with Service. (b) Diploma/Certificate course in concerned subject i.e. Lab Technology, Radiology, Anesthesia, Dialysis awarded DHS or DME and minimum ten years experience in Govt. service in Health & Family Deptt. and Ayurveda Deptt. of Himachal Pradesh. OR Must have passed 10+2 examination of any recognized University/Board with 5 years experience in Health & Family Welfare Department and Ayurveda Deptt. in the concerned specialties (Lab Techniques/Assistant Radiology/OTA/Dialysis) in which the applicant intents to compete. OR All the interested candidates promoted from the post of Laboratory Assistant to the post of Laboratory Technicians who passed Matric with science examination from any recognized University/ Board and having 10 years experience as Laboratory technicians in Govt. service in the Health & Family Welfare Deptt. and Ayurveda Deptt. of Himachal Pradesh. 2. **Age:** A candidates should have attained minimum age of 17 years and maximum age of 25 years as on 31st December of the year concerned. Provided that the maximum age limit shall not be applicable in case of in-service candidates.

Under ordinance 14.34 under faculty of Medical Sciences	For ordinance 14.34 under faculty of Medical Sciences
1. B.Sc. Medical Technology (Laboratory) 2. B.Sc. Medical Technology (Radio diagnosis & Radiotherapy) 3. B.Sc. Medical Technology (Anesthesia Operation Theatre Techniques)	The following shall be added **B.Sc. Medical Technology (Renal Dialysis Technology)**

Item No.	Ordinance clause	AGENDA ITEMS EXISTING ORDINANCE /REGULATION	PROPOSED AMMENDMENTS/ ADDITIONS IN ORDINANCE
1	14-B.2	DURATION OF COURSE	
	(i)	The duration of course shall be 5 year with 240 teaching days in each academic year without internship .The commencement of the course of study of the 1st year of BDS will be ordinarily from the month of august every year	Existing clause 14-b.2-(i) should be replaced as : The undergraduate dental programme leading to BDS Degree shall be of 4 (four) academic years with 240 teaching days in each academic year plus one year paid rotating internship in a dental college .The commencement of the course of study of the 1st year of BDS will be ordinarily from the month of August every year.
	(iii)	The Examination shall be held in five parts namely 1st BDS examination at the end of 1st academic year,2nd at the end of the 2nd academic year, 3rd at the end of 3rd academic year, 4th at the end of 4th academic year and 5th at the end of 5th year	Existing clause 14-B.2-(iii) should be replaced as : The Examination shall be held in four parts namely 1st BDS examination at the end of 1st academic year,2nd at the end of the 2nd academic year 3rd at the end of 3rd academic year, 4th at the end of 4th academic year .
	(iv)	The annual examination will be conducted in the first week of August and supplementary examination in first week of March every year and the result will be declared by the University up to 15th September and 30th April accordingly	Existing clause 14-b.2-(iv) should be replaced as : The annual examination will be conducted in the first week of August and supplementary examination in Second week of February every year and the result will be declared by the University up to 30th September and 31st March accordingly
2	14-B.4	FIFTH YEAR 1. Oral & Maxillofacial Surgery 2. Prosthodontics and crown and Bridge 3 .Conservative Dentistry and endodontic 4. Public Health Dentistry	clause 14-B.4 Should be deleted
3		SCHEME OF EXAMINATION	
	14-B.4	In Existing clause 14-B.4 FOURTH YEAR BDS EXAMINATION 1. Oral Medicine & Radiology 2. Paediatric & Preventive Dentistry 3. Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 4. Periodontology FIFTH YEAR BDS EXAMINATION 1. Prosthodontics and Crown & Bridge 2 . Conservative Dentistry and Endodontics 3. Oral & Maxillofacial Surgery 4. Public Health Dentistry	and replaced by the FOURTH YEAR BDS EXAMINATION 1. Oral Medicine & Radiology 2. Paediatric & Preventive Dentistry 3.Orthodontics & Dentofacial Orthopedics 4. Periodontology 5. Prosthodontics and Crown & Bridge 6.Conservative Dentistry and Endodontics 7. Oral & Maxillofacial Surgery 8. Public Health Dentistry
4	14-B.6	A candidate is required to pass in all the	Existing Clause 14-B.6 (i) should be

DEAN-CUM-PRINCIPAL
FACULTY OF DENTAL SCIENCES
H.P. GOVT. DENTAL COLLEGE

	(i)	courses in each examination and shall be permitted to appear in the 2^{nd}, 3^{rd} and 4^{th} **and 5^{th} year** BDS examination only after he/she has passed the lower examination.	replaced as: **A candidate is required to pass in all the subjects in each examination and shall be permitted to appear in the 2^{nd}, 3^{rd} and 4^{th} BDS examination only after he/she has passed the failed subjects.**
5	14-B.9 (iv)	Any candidate who fails in one subject in an examination is permitted to go to the next higher class and appear for the subject and complete it successfully before he/she is permitted to appear for the next higher examination and if the candidate fail in two subjects he/she will not be permitted to attend the next higher classes till he/she passes the particular subjects in the supplementary examination.	Existing clause 14-B.9 (iv) should be replaced as: **Any candidate who fails in one subject in an examination is permitted to go to the next higher class and appear for the subject and complete it successfully before he/she is permitted to appear for the next higher examination. The candidate failing in more then one subject will not be permitted to attend the next higher classes till he/she passes the particular subjects in the subsequent university examination and continue to attend the theory and practical classes of the failed subjects**

DEAN-CUM-PRINCIPAL
FACULTY OF DENTAL SCIENCES
H.P. GOVT. DENTAL COLLEGE
& HOSPITAL, SHIMLA

संलग्नक - ग अनुपूरक मद संख्या - 7(2)

PROPOSED AMEMDMEMTS/ADDITIONS TO ORDINANCES w.r.t. DR. BHIMRAO RAMJI AMBEDKAR CHAIR IN HIMACHAL PRADESH UNIVERSITY, SHIMLA

Ord. No.	Reference text of the Ordinances where amendments / additions to be done	PROPOSED AMENDMENTS/ ADDITIONS TO ORDINANCES w.r.t. DR. B. R. AMBEDKAR CHAIR
1.1	*Chapter-I under ordinance 1.1* ... 3. FACULTY OF SOCIAL SCIENCES 1. Philosophy 2. Psychology ...	*In Chapter-I under the FACULTY OF SOCIAL SCIENCES the following course shall be added at serial no.22 (or at appropriate serial no. thereafter):* Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies
1.3	*Chapter-I under ordinance 1.3 Degrees, Diplomas and Certificates ...*	*The following Diploma shall be added under the FACULTY OF SOCIAL SCIENCES:* Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies
1.4	*Chapter-I under ordinance 1.4* The minimum qualifications prescribed for admission...	*The following addition shall be made in ordinance 1.4 under 'FACULTY OF LANGUAGES; PERFORMING & VISUAL ARTS AND SOCIAL SCIENCE'S' in PG Diploma section at appropriate place/serial no.:* Minimum Qualifications Prescribed for Admission to Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies :- A Bachelor's degree in any Faculty of a University established by Law in India including Shastri & Vashist Shastri or any degree equivalent to Bachelor's degree OR Degree of a Foreign University which may be recognized as an equivalent for the purpose by the Vice-Chancellor.
8.***	*In Chapter-VIII* ... ... PG DIPLOMA IN DEEN DAYAL ... 8.99 i) The duration of the ... 8.100... 8.101... . . . 8.106 .	*The following rules/guidelines shall be added in Chapter-VIII at ordinance serial no. 8.107 (or at appropriate place/serial no.) in Chapter-VIII for the new course Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies:* POST GARDUATE DIPLOMA IN AMBEDKAR STUDIES (i) The duration of the Post Graduate Diploma in Ambedkar Studies shall be one academic year. Examination shall be held at the end of the year ordinarily in the month of May/June. The dates are to be notified by the Controller of Examinations. (ii) The examination shall consist of five papers. Out of five papers four shall be theory papers and fifth paper shall be Project work. The syllabi shall be as prescribed by the Faculty of Social Sciences from time to time. (iii) The medium of instructions and examinations shall be English or Hindi. (iv) Each paper will be of 100 marks maximum. The minimum number of marks required to pass the examination shall be 40% in each theory paper. The Project work will be of hundred marks – fifty marks will be awarded through internal evaluation and other fifty marks will be for viva–voce to be conducted by the external examiner. The minimum number of marks required to pass the examination shall be 50% in Project work and the

A.J. Singh

		candidate has to pass separately in internal and external evaluations by securing minimum fifty per cent marks in each. The minimum number of total marks required to pass the examination shall be 45% marks in aggregate in all the papers. (v) The candidates shall be required to attend 75% of the classes. (vi) The pass candidates shall be classified as under:- (a) First Division: those students who obtain 60% or more of the aggregate marks. A candidate obtaining 75% or more of the aggregate marks shall be shown to have passed the examination with distinction. (b) Second Division: those students who obtain 50% or more marks but less than 60% of the aggregate marks. (c) Third Division: all those students who pass the examination obtaining 45% or less than 50% marks out of the aggregate will be classified in third Division.
16.2	*Chapter XVI* 16.2.1: Standing Committee for the…	*The following shall be added in Chapter XVI at 16.2.2 or at appropriate serial no. (Composition is similar to Deen Dayal Upadhyaya Chair):* 16.2.2.Standing Committee for B. R. Ambedkar Chair shall be constituted, as under:- (i) The Dean, Faculty of Social Sciences ..Chairman (ii) Chairman of the Ambedkar Chair (iii) Two Professors having Social Sciences background to be nominated by the Vice-Chancellor
16.7	*Chapter XVI* 16.7.1: Research Degree Committee…	*The following shall be added in Chapter XVI at 16.7.2:* 16.7.2 Research Degree Committee for Ambedkar Chair (i) Dean of Faculty of Social Sciences -Chairman (ii) Chairman, B. R. Ambedkar Chair (iii) Three experts from Faculties of Social Sciences & Faculty of Laws to be nominated by the Vice-Chancellor (iv) Supervisor of the candidate
16.12	*Chapter XVI* 16.12 Procedure for admission to Ph.D. programme…	*The following shall be added at 16.12 (VI) or at appropriate serial no. (Qualifications are similar to Deen Dayal Upadhyaya Chair):* B. R. Ambedkar Chair: The minimum qualifications for admission to Ph.D. course in Ambedkar Studies shall be Master Degree in any stream/faculty with minimum 55% marks (50% for SC/ST).
25.2	*Chapter XXV* 25.2.1: The composition of Board of Studies for the subject of…	*The following shall be added in Chapter XXV at 25.2.2 or at appropriate sr. no. (Composition is similar to Deen Dayal Upadhyaya Chair):* 25.2.2: The composition of Board of Studies for the subject of Ambedkar Studies shall be as under:- 1. Chairman of B. R. Ambedkar Chair ..Chairman 2. Two Professors from the Faculty of Social Sciences to be nominated by the Vice-Chancellor ..Members 3. One Principal of the concerned colleges where PG Diploma in Ambedkar Studies is taught ..Member 4. Not more than two experts to be nominated by the Vice-Chancellor ..Members

Sr. No.	Amendment Required	Existing	Proposed
1	14-A-31 (B) (7)	Grace marks may be awarded to the students at the discretion of the University/ examining body on exceptional circumstances.	"11 (viii) The University or examining authority shall have the discretion to award grace marks at the maximum to ten marks in total if a student fails in one or more subject" This provision is as per recommendation of governing body i.e. CCH. In future also the pattern of Grace Marks shall be automatically adopted on the pattern of notification by CCH regarding Grace marks.

20/7/18

Dean
Faculty of Ayurveda & Homoeopathy
RGGPG Ayurvedic College
Paprola

संलग्नक-ङ० अनुपूरक मद संख्या-7(7)

File No-7-1/2004-HPU (Acad)
Himachal Pradesh University
Academic Branch

To

Dated: 26 JUL 2018

1. All the Principal of Govt./Non Govt. Affiliated/Associated with the H.P.University, Shimla-5 with the request to upload the same from University Website www.hpuniv.nic.in
2. The Controller of Examination, H.P.U., Shimla-5
3. The D.R./A.R.Exam (UG)/ S.O. Exam (U.G.) I,II, III/Conduct/Secrecy/ Re-evaluation/ Evaluation/ RME, H.P.University, Shimla-5.
4. Incharge Computer Centre, H.P.U., Shimla-5

Subject: Proceedings of the meeting for switching over from CBCS semester system to Annual system 13.06.2018.

Sir/Madam

Please find enclosed a copy of the Proceedings of the meeting of Deans of the Faculties and Chairpersons/ Directors of the Teaching Departments/Institutes for switching over from CBCS semester system to CBCS annual system held on 13-06-2018 for information and necessary action

Yours faithfully

(K.K.Sharma)HAS
Registrar

Encls. As above
Endst. No. even

Dated: 26 JUL 2018

Copy forwarded for information:-
1. Dean of Studies, H.P.University, Shimla-5.
2. All the Deans, H.P.University, Shimla-5.
3. All the Chairmen/ Chairperson/ Director/ of the Teaching Departments, H.P.University, Shimla-5.
4. The Web Admin, H.P.University, Shimla-5 to upload the letter alongwith its enclosures.

Registrar

Himachal Pradesh University
(NAAC Accredited 'A' Grade University)
Office of the Dean of Studies

Proceedings of the meeting of Deans of the Faculties and Chairpersons /Directors of the Teaching Departments/Institutes for switching over from CBCS semester system to CBCS annual system on 13.6.2018 at 12.15 PM in Committee Room under the Chairpersonship of the Hon'ble Vice- Chancellor.

A meeting of Deans of the Faculties and Chairpersons /Directors of the Teaching Departments/Institutes for switching over from CBCS semester system to CBCS annual system on 13.6.2018 at 12.15 PM in Committee Room under the Chairpersonship of the Hon'ble Vice- Chancellor.

The following were present:-

1. Prof. Arvind Kalia, Dean of Studies.
2. Prof. (Mrs.) Sushma Sharma, Dean, Faculty of Life Sciences.
3. Prof. (Mrs.) Sudarshna Rana, Dean, Faculty of Education.
4. Prof. Pawan Garga, Dean, Faculty of Environment Development and Sustainability Studies.
5. Prof. Mahavir Singh, Dean Faculty of Engineering.
6. Prof. Jeet Ram Sharma, Dean, Faculty of Performing & Visual Arts.
7. Prof. (Mrs.) Kaushalya Chauhan, Dean, Faculty of Languages.
8. Prof. (Mrs.) Sarswati Bhalla, Chairperson, Dept. of Hindi.
9. Prof. Sikander Kumar, Chairperson, Dept. of Economics.
10. Prof. Duni Chand, Chairperson, Dept. of Bio-technology.
11. Prof. Anand Sagar, Chairperson, Dept. of Bio-Sciences.
12. Prof. (Mrs.) Mamta Mokta, Chairperson, Dept. of Pub. Administration.
13. Prof. (Mrs.) Suvarcha Chauhan, Chairperson, Dept. of Chemistry.
14. Prof. Surinder Kumar Sharma, Chairperson, Dept. of Physical Education.
15. Prof. N.S. Negi, Chairperson, Dept. of Physics.
16. Prof. K.L.Bansal, Chairperson, Dept. of Computer Science.
17. Prof. Sonia Khan, Director, IVS.
18. Prof. (Mrs.) Ranjna Bhan, Chairperson, Dept. of Education.
19. Prof. S.S.Narta, Director,UCBS.
20. Prof. Raghuvinder Singh , Director, UILS.
21. Prof. Him Chatterjee, Chairperson, Dept. of Visual Arts/Yoga Studies.
22. Prof. B.K.Shivram, Chairperson, Dept. of History.
23. Prof. Rajesh Sharma, Chairperson, Dept. of Mathematics.
24. Prof. Devinder Sharma, Chairperson, Dept. of Commerce.
25. Prof. Ramesh Kumar Chauhan, Chairperson, Dept. of Political Science.
26. Dr. (Mrs.) Rekha Sharma, Associate Professor, Chairperson, Dept. of English.
27. Dr. Anita Sharma, Associate Professor, Chairperson, Dept. of Psychology.

28. Dr. Vikas Dogra, Associate Professor, Chairperson, Dept. of Journalism & Mass Communication.
29. Dr. Anurag Sharma, Associate Professor, Dept. of Geography.
30. Dr. Ashwani Kumar, Dept. of Sociology.
31. Dr. J.S.Negi, Contorller of Examinations, HHPU.
32. Dr. Mukesh Kumar, Incharge, Computer Centre.

At the very outset Prof. R.S.Chauhan,Hon'ble Vice-Chancellor welcomed all the faculty members. Thereafter, Hon'ble Vice-Chancellor apprise the members about the decision of the Government and meeting with Hon'ble Education Minister for introduction of annual system at Under-graduate level(B.A/B.Sc/B.Com) under (CBCS). The following decisions were taken:

1. It was decided that all the Chairpersons/Directors of the Teaching Departments/Institutes will finalize the syllabus and convene the meeting of Board of Studies (UG) within a week's time consultation with the Dean of the Faculty concerned.
2. The broad outline/template /structure of the annual system was provide to the members as a guidelines. The total credits for the pass course at Under-graduate level is 132 and for Honours courses at Under-graduate level is 148.
3. Eligibility for admission:
   Eligibility conditions for the BA/B.Sc/B.Com shall be same as provided in the Ordinances for annual system.
4. Lecture Conditions:
   The lecture conditions shall be as provided in HPU Ordinance 6.2(a) to (d).
5. IA/CCA and Term End examinations will be in consonance with the existing RUSA provisions i.e. 70% in theory and 30% in CCA/IA for Arts and Commerce where practicals are not involved. For Sciences and the subjects/courses where practicals are involved it will be 50% in theory 20% in Practicals and 30% in CCA/IA. This will not be applied in case of ICDEOL students. The percentage of marks obtained in theory examinations shall proportionately be given to the students of ICDEOL for CCA/IA component as is being done at present.

   For determining CCA following procedure shall be applicable:

   i) 5 marks for attendance.
   ii) 5 marks for class test to be taken on completion of 40% syllabus by the class teacher.
   iii) 10 marks for house test to be taken on completion of 75% of syllabus.

iv) 10 marks for assignments, tutorials, general behaviour of student.

6. The minimum passing marks will be 40% in aggregate . However, 35% each in Internal Assessment and Final Examinations will be compulsory. For practicals 40% passing marks will be compulsory and if a candidate fails to obtain 40% marks in practicals will be treated as fail in that subject.

A candidate failing in either one or two subjects/papers will be given compartment in that subjects/papers and will be eligible for promotion to the next class. He/She will appear in the subject/paper in which he/she got the compartment. He/She will have two chances(one at the supplementary stage and one at the annual stage), available to him to clear his/her compartment in subjects/papers. He/She will not be awarded the degree until he/she clears all his/her courses within five years from the date of his/her admission to a particular course. A candidate failing in three or more subjects/papers will be treated as fail in that year and has to repeat the entire year.

The success full candidates will be classified on the combined results of the Part-I, II, III examinations as follows:

First Division: 60% marks or more in the aggregate
Second Division: 50% marks but less than 60%
Third Division: Less than 50%

7. The result shall be declared as per the present practice on absolute grading .
8. The grace marks under the annual system will be allowed as per provisions of the Ordinances for annual system.
9. Re-evaluation: Re-evaluation shall be applicable as per provisions of H.P. University Ordinance for annual system.
10. The students shall be required to complete the degree within 5 years.
11. Course contents will be the same as are at present in force. For annual system the course contents of 1st and 2nd semester shall together be taken into consideration and the final examinations shall be held in the month March/April every year and the supplementary examinations shall be held in the month of September/October every year.

For further details can see: Instructional template for facilitating implementations of Choice Based Credit System (CBCS) dated 10.4.2015 on UGC website:https://www.ugc.ac.in

The Hon'ble Vice-Chancellor permitted and authorised the Chairperson of the Board of Study(UG) to call and consult the college teachers/experts even before that meeting of Board of Study to finalize the syllabus.

The meeting ended with a vote of thanks to the Chair.

(Prof. Arvind Kalia)
Dean of Studies.

Hon'ble Vice-Chancellor.

संलग्नक मद संख्या - 12

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2018 की कार्यवाही रिपोर्ट।

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक दिनांक 11.09.2018 को 11:00 बजे समिति कक्ष आर्म्सडेल भवन, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 में आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया

1.	आचार्य सिकन्दर कुमार, कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	अध्यक्ष
2.	आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान, प्रति-कुलपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	उपाध्यक्ष
3.	श्री अनिल कुमार खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2	सदस्य
4.	श्री सुभाष ठाकुर, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, सैट न. 205, जवाहर लाल नेहरू विधायक सदन, शिमला-4	सदस्य
5.	आचार्य सतीश चंद भडवाल (सेवा निवृत), शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
6.	आचार्य एस. के. महाजन, अधिष्ठाता, समाज विज्ञान संकाय, लोक प्रशासन विभाग, हि. प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
7.	डॉ.जे.एस.नेगी, कुल सचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य
8.	श्री नरेन्द्र ठाकुर, वित्त अधिकारी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला-5	सदस्य-सचिव

मद संख्या 1: कुलपति महोदय का स्वागत भाषण ।

बैठक के आरंभ में माननीय कुलपति महोदय ने माननीय कुलाधिपति, हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय व माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश द्वारा उन्हें कुलपति के गरिमामय पद पर आसीन करने के लिए धन्यवाद किया, साथ ही वित्त समिति के पूर्व सदस्यों विषेशतौर से श्री. हरीश जनरथा एवं डॉ. श्रीकांत बाल्दी पूर्व अतिरिक्त सचिव (वित्त) का उनके सकारात्मक सहयोग के लिए भी धन्यवाद किया तथा वित्त समिति के नए सदस्य माननीय विधायक श्री सुभाष ठाकुर व अन्य सदस्यों का भी स्वागत किया गया।

कुलपति द्वारा विश्वविधालय में अनुभाग अधिकारी से सहायक कुल सचिव व सहायक कुलसचिव से उप कुलसचिव के पदों पर पदोन्नति देने से संबन्धित निर्धारित सेवाकाल में आवश्यक छूट प्रदान करने के लिए श्री अनिल खाची अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) का भी हार्दिक धन्यवाद किया।

तदोपरांत मदबार चर्चा आरंभ की गई :-

मद संख्या 2: वित्त समिति की दिनांक 26.03.2018 को आयोजित बैठक की कार्यवाही की पुष्टि ।

वित समिति ने दिनाक 26.03.2018 को हुई बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की।

मद संख्या 3: वित्त समिति की दिनांक 26.03.2018 की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट ।

समिति ने दिनाक 26.03.2018 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गयी कार्यवाही का अवलोकन कर अनुमोदित किया।

मद संख्या 4: कार्यकारिणी परिषद की बैठक दिनांक 29.03.2018 में मद संख्या 07 पर विस्तृत विचार विमर्श के पश्चात् GPF, CPF,CPS और Pension Corpus Fund के निवेश मामले को वित्त समिति के उचित अनुशंसा हेतु प्रेषित करने बारे।

समिति ने गहन विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर तथा प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारियों से निवेश संबंधी सुझाव प्राप्त कर मामले का व्यापक प्रस्ताव कार्यकारिणी परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये।

मद संख्या 5: To place before the Finance Committee the matter regarding Application of GST on Higher Education i.e. Affiliation fee, Inspection fee etc.

विश्वविधालय प्रशासन द्वारा माल व सेवाकर सूचना महानिदेशालय, चंडीगढ़ से प्राप्त समन दिनांक 26.04.2018 के संदर्भ में की गई कार्यवाही का अनुमोदन करते हुए किराए से अर्जित **आय पर GST देय राशि मू. 15,47,8,22.00 के भुगतान को कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।**

मद संख्या 6: To place before the Finance Committee the matter of adoption of New Pension Scheme to protect the interest of the subscribers of Contributory Pension Scheme (CPS) appointed on or after 15.05.2003 on the analogy of State Government.

अनुमोदित।

मद संख्या 7: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं लिपिक वर्गों के (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य शर्तों) नियमों के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में वित्त समिति की अनुशंसा उपरांत कार्यकारिणी परिषद द्वारा दिनांक 31.3.2018 तक पदोन्नति हेतु निर्धारित सेवाकाल में प्रदान की गई एक वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31.3.2019 तक जारी रखने बारे मामला पुन: वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत।

अनुमोदित। प्रस्तुत मद के संदर्भ में वित्त समिति द्वारा दिनांक 31.07.2018 को परिचालन (BY Circulation) द्वारा लिए गए निर्णय की पुष्टि की।

मद संख्या 8: कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 6.6.2018 को हुई बैठक में यथा-स्थान की गई चर्चा के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में छूट प्रदान करके कनिष्ठ सहायक के पद से वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत।

Relaxation not agreed

अनुमोदित । व्यापक विचार विमर्श उपरान्त वित्त समिति ने मद अनुसार प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी निर्देशित किया कि Feeder Category में निर्धारित सेवाकाल में बार–बार छूट देना उचित नहीं है। भविष्य में पदोन्नति, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत ही सुनिश्चित की जाए।

मद संख्या 9: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय प्रशासनिक एवं लिपिक वर्गों के (भर्ती, पदोन्नति एवं अन्य शर्तों) नियमों में प्रावधान के अन्तर्गत अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक/योजना एवं विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु सेवाकाल में प्रदान की गई एक वर्ष की छूट को 2 वर्ष करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत ।

अनुमोदित । वित्त समिति द्वारा उक्त मद के संदर्भ में श्रीमती पुष्पा देवी अतिरिक्त परीक्षा नियन्त्रक व श्री राजकुमार योजना विकास अधिकारी के पक्ष में पदोन्नति की तिथि क्रमशः दिनांक 1.09.2017 व 28.11.2017 से उप कुलसचिव के रुप में निर्धारित सेवाकाल में दिनांक 04.08.2017 की बैठक में प्रदत्त एक वर्ष की छूट के स्थान पर 2 वर्ष की छूट प्रदान करने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। वित्त समिति द्वारा उक्त पदोन्नति में हुई गलती का कड़ा संज्ञान लिया और निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो।

मद संख्या 10: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परिचालक के रिक्त पद को सीधी भर्ती द्वारा, अनुबंध आधार पर भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अनुमोदित । समिति ने परिचालक के एक पद को अनुबंध मु. 7810/- रुपए प्रतिमाह पर सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 11: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में चालक (भारी वाहन), वेतनमान रु. 5910-20200+2000 ग्रेड पे में 01.10.2018 से उपलब्ध होने वाले रिक्त पद को सीधी भर्ती द्वारा, अनुबंध आधार पर भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अनुमोदित । समिति ने मद अनुसार चालक (भारी वाहन) **के एक पद को अनुबंध आधार मु.7910/- पर सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की ।**

मद संख्या 12: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में सुरक्षा गार्ड के पद पर कार्यरत श्री हीरा लाल को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदोन्नति बारे निहित शैक्षणिक योग्यता एवं वांछित सेवाकाल में एकमुश्त छूट प्रदान कराते हुए सुरक्षा पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पद पर वेतनमान रू. 10300-34800+3600 ग्रेड पे पर पदोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 13: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हैल्पर टू इलैक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत सर्व श्री हरीश कुमार, राजेश कुमार एवं प्रमोद कुमार को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में पदोन्नति बारे निहित शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यता में एकमुश्त छूट प्रदान करते हुए उन्हें इलैक्ट्रिशियन के रिक्त पड़े पदों पर वेतनमान रू. 5910-20200+1900 ग्रेड पे पर पदोन्नति प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 14: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परिचारिका (Mid Wife) श्रेणी 'D ' के पद को प्रदेश सरकार के आयुर्वेद विभाग की तर्ज पर सहायक परिचारिका दाई (Auxiliary Nurse Midwife) श्रेणी 'C' में परिवर्तित करने एवं वेतनमान निर्धारण का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतू प्रस्तुत है ।

अनुमोदित। वित्त समिति ने परिचारिका (Midwife) के पद को सहायक परिचारिका में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की तथा प्रस्तावित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा सहायक परिचारिका दाई के पद को प्रस्तावित नियमों के तहत सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 15: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर वरिष्ठ व्यवसायिक सहायक से पदोन्नति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम में भर्ती एवं पदोन्नति समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधन का मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्ररतुत है ।

मद को निर्लिप्त (withdrawn)किया गया।

मद संख्या 16: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मे रिस्टोरर के पद पर पदोन्नति हेतु पदोन्नति नियम में भर्ती एवं पदोन्नति समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार संशोधन का मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

वापिस की।

मद को निर्लिप्त (withdrawn)किया गया।

मद संख्या 17: वित्त समिति की बैठक दिनांक 07-11-2016 व 09-11-2016 की मद संख्या 33 के अंतर्गत लिए गए निर्णयानुसार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (लेखाकार) श्रेणी III के चार पद अनुबंध आधार पर भरने हेतु भर्ती एवं पदोन्नति नियम वेतनमान (5910-20200+1950GP)सहित अपनाने का मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

वित्त समिति द्धारा हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय में कनिष्ठ सहायक (लेखाकार) श्रेणी - III के **चार पद अनुबंध आधार पर भरने से संबन्धित मद अनुरूप** भर्ती एवं पदोन्नित नियम में **दर्शाई गई शैक्षणिक योग्यता बी. कॉम के साथ 50% अंक** (B. Com. With 50% marks) **का आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृति प्रदान की** तथा श्रीमती ज्योति की सेवाओं को प्रस्ताव अनुसार जारी रखने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 18: To place before the Finance Committee the matter of certain amendments in the Recruitment & promotion rules of the post of Mali, Frash and Chowkidar on the analogy of the State Govt. for consideration and decision.

अनुमोदित। वित्त समिति द्वारा माली, फ्राश व चौकीदार के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में राज्य सरकार द्वारा उक्त पदों के लिए अनुमोदित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 19: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में स्वयं पोषित निधि के अन्तर्गत कार्यरत श्री अविनाश भारद्वाज को कम्प्यूटर प्रयोगशाला तकनीशियन के पद पर 10300-34800+3200 ग्रे. पे. विभाग की स्वयं पोषित निधि से प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 20: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय पुस्तकालय में कार्यरत पुस्तकालय परिचर को पूर्व में प्रदान किए जा रहे रुपये 1900/- ग्रेड पे संरक्षण का मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

अनुमोदित। वित्त समिति द्वारा विश्वविधालय में कार्यरत छः पुस्तकालय परिचर को दिनांक 01.07.2013 से पूर्व प्रदत्त पे बैन्ड 5910-20200 +1900 ग्रेड पे के सरंक्षण संबंधी प्रस्ताव को उक्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत तौर पर (As a measure personal to them) अपनी स्वीकृति प्रदान की तथा निर्णय लिया कि 01.07.2013 के उपरांत सभी पुस्तकालय परिचर को पे बैन्ड 4910-10680 + 1650 ग्रेड पे देय होगी।

मद संख्या 21: वित्त समिति के समक्ष श्री दिनेश कुमार, सुपरवाइज़र एवं श्री रामा नन्द शर्मा, वाटर वर्क्स इंस्पेक्टर को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदोन्नति के विरुद्ध भरे जाने वाले रिक्त पद पर पदोन्नति बारे मामला वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करने बारे ।

मद को निर्लिप्त (withdrawn)किया गया।

मद संख्या 22: डा. विनय कुमार, स्वास्थ्य अधिकारी, हि. प्र. वि. स्वास्थ्य केन्द्र की दिनांक 8.2.2006 से 15.5.2012 तक स्टॉप गैप आधार पर की गई सेवा की गणना फोर टायर वेतनमान प्रदान करने हेतु प्रकरण पुनः वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं ऐसा निर्णय /संस्तुति जैसा कि समिति उचित समझे हेतु प्रस्तुत है ।

अनुमोदित। व्यापक विचार विमर्श उपरांत वित्त समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र क्रमांक Health – A-B (15)- 27/2011 दिनांक 20.10.2015 के अनुसार डॉ. विनय कुमार द्वारा दिनांक 08.02.2006 से 15.02.2012 तक स्टॉप गैप आधार पर की गई सेवा की गणना को फोर टायर वेतनमान प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत तौर पर (As a measure personal to him) स्वीकृति प्रदान की तथा यह भी निर्णय लिया कि उक्त निर्णय को अन्य किसी वर्ग के कर्मचारियों के लिए उदाहरण न समझा जाये।

मद संख्या 23: भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में निहित प्रावधान के अन्तर्गत सेवाकाल में छूट प्रदान करके सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 24: निदेशालय शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में निदेशक, उप-निदेशक एवं सहायक निदेशकों के रिक्त पदों को भरने के संदर्भ में।

अनुमोदित। वित्त समिति द्वारा निदेशालय शारीरिक शिक्षा एवं युवा कार्यक्रम विभाग में निदेशक, उप–निदेशक व सहायक निदेशक के रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 25: To place before the Finance Committee matter with regard to grant of budget provision under Part-I (Revenue Account) for IIHS.

अस्वीकृत। समिति ने वित्त समिति की पूर्व बैठक दिनांक 13.02.2014 मद संख्या 4 के **अंतर्गत लिए गए निर्णय को उचित ठहराया तथा IIHS को स्वयंपोषित** योजना के प्रावधानों के अनुरुप संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 26: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय खेल एवं पाठ्योत्तर गतिविधि परिषद की 8 और 9 अगस्त, 2017 को सम्पन्न बैठक में अंतर महाविद्यालय, अंतर विश्वविद्यालय दैनिक भत्ते बढ़ाने तथा दरी चार्जेज व रिफ्रेशमेंट की दरें बढ़ाने हेतु मद संख्या 16 के तहत सिफारिशों को वित्त कमेटी की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु स्वीकृति।

अनुमोदित। वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्तावित निम्नलिखित **दैनिक** भत्तों **की** दरों को अनुमोदित किया:–

क्रमांक	दैनिक भत्ते एवं अन्य भत्ते	अनुमोदित भत्ते 2013–14	प्रस्तावित भत्ते
1	दैनिक भत्ता अंतर महाविद्याल प्रतियोगिता	150/– प्रतिदिन	250/– प्रतिदिन
2	दैनिक भत्ता अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	200/–प्रतिदिन	400/– प्रतिदिन
3	रिफ्रैशमेंट अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता	25/–	50/–
4	रिफ्रैशमेंट अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	40/–	100/–
5	दरी चार्जेज अंतर महाविद्यालय/अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता	25/–	100/–

मद संख्या 27: वित्त समिति की बैठक दिनांक 4.8.2017 में मद सं. 46 के अन्तर्गत पारित आदेशों जिसे कार्यकारिणी परिषद द्वारा बैठक दिनांक 17.8.02017 के मद सं. 12 द्वारा अनुमोदित किया गया है में पारित आदेशों की अनुपालन में उपाधि शाखा में प्रति उपाधि पारिश्रमिक आधार पर कार्यरत उपाधि लेखनकर्ताओं द्वारा अर्जित शैक्षणिक योग्यता बारे सूचना/मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखने बारे।

अस्वीकृत। समिति ने मद को वर्तमान स्वरूप में असहमति प्रकट की तथा उपाधि लेखकों के लिए अलग पद सृजित करने बारे मद अगली वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने की संस्तुति दी।

मद संख्या 28: अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2013-14 में 10% विश्वविद्यालय अंशदान को संबन्धित कर्मचारियों के अंशदान पेंशन योजना खातों में परिवर्तित करने बारे।

अनुमोदित। समिति ने उपरोक्त मद के संदर्भ में **निर्णय लेने** के लिए कुलपति महोदय को **अधिकृत किया।**

मद संख्या 29: अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में बी. एड. एवं एम. ए. एजुकेशन कोर्सों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (PCP) मुख्यालय से बाहर आयोजित करने हेतु शिक्षकों/गैर-शिक्षकों को विभिन्न वर्ग में दिए जाने वाले मानदेय एवं पारिश्रमिक दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव/मद (संलग्नक "अ") के अनुसार वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्धारा मद के साथ संलग्गन (Annexure – A) के Sr. No. 1 से 3 तक दर्शाये **गई मदों को TA Rules के अनुसार तथा 4 से 9 तक मद अनुरूप प्रस्ताव** को स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 30: अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में चलाए जा रहे सभी स्नातक, स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा कोर्सों के व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (PCP) के दौरान गैर-शिक्षक कर्मचारी (लिपिक, सेवादार/Waterman) को दिए जाने वाले मानदेय एवं पारिश्रमिक दरों में संशोधन हेतु प्रस्ताव/मद (संलग्नक "अ") के अनुसार वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अनुमोदित। अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त अध्ययन केन्द्र में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम (PCP) आयोजित करने हेतु गैर-शिक्षकों को दिए जाने वाले मानदेय की दरों में निम्न अनुसार अपनी स्वीकृति प्रदान की:–

Sr. No.	Category	Existing Rates	Proposed Rates
1.	**Staff Engaged in the PCP**		
(i)	Clerk (One)	Rs. 75/- per day	Rs. 150/- per day
(ii)	Peon/ Waterman (One)	Rs. 50/- per day	Rs. 100/- per day

मद संख्या 31: अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम मुक्त अध्ययन केन्द्र (ICDEOL) के नोयडा स्थित सेंटर (Learning Resource Centre) के बारे में संलग्नक "अ" के मध्यनजर उचित निर्णय लेने बारे मद वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

वित्त समिति द्धारा नोएडा स्थित सेंटर से संबन्धित प्रस्तुतु रिपोर्ट का अवलोकन उपरांत **निर्णय लिया कि उक्त केंद्र को राज्य व केंद्र सरकार के शिक्षण** संस्थानो द्धारा आयोजित **किए जाने वाली परीक्षा व शैक्षणिक कार्यों के लिए उपलब्ध संभावनाओं** को तलाशने व उक्त

सेंटर के समुचित उपयोग हेतु सभी विकल्पों पर उचित कार्यवाही कर कार्यवाही रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

मद संख्या 32: अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम मुक्त अध्ययन केन्द्र के वाहन मारुति स्वीफ्ट डिजायर के लिए चालक का एक पद सृजित करने बारे प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।

अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवम मुक्त अध्ययन केन्द्र के लिए विश्वविधालय के चालक संवर्ग में चालक का एक पद पे बैंड 5910-20200+2000 ग्रेड पे सृजित कर अनुबंध आधार पर मु. 7910/- रुपए प्रतिमाह पर भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 33: वित्त समिति के समक्ष हि.प्र.वि.वि. की सुरक्षा शाखा के लिए गश्त (विशेषतः रात्रि कालीन) हेतु मोटेरसाइकिल क्रय करने की स्वीकृति हेतु ।

समिति ने हिमाचल प्रदेश विश्वविधालय की सुरक्षा शाखा के लिए रात्रि कालीन गश्त हेतु मोटरसाइकिल क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 34: वित्त समिति के सन्मुख हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बच्चों के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों पर फीस में 50 प्रतिशत छूट देने के बारे अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 35: श्री दुनी चन्द भौतिकी विभाग (Physics Deptt.) में दिनांक 11.07.2011 से कार्यरत Tech. की सेवाओं को नियमित करने बारे ।

अनुमोदित। समिति ने मद के सदर्भ में उक्त कर्मचारी की physics department Laboratory में वांछित आवश्यक सेवाओं को मध्यनजर रखते हुए निर्णय लिया कि श्री दुनी चन्द को भौतिकी विभाग (Physics Deptt.) में Technician ग्रेड -II वेतनमान 10300 – 34800 + 4400 GP में श्री. के. डी. धीमान की सेवानिवृति से उपलब्ध रिक्त पद के अंतर्गत नियमित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 36: सर्वश्री सुनील कुमार, भगत चंद व कुशल कुमार, हॉस्टल अटेण्डेंट द्वारा उनके पद को पूर्व में श्री शिशु पल , हॉस्टल अटेण्डेंट के पद को लिपिक के पद में परिवर्तित किये जाने बारे लिए गए निर्णय की तर्ज पर उनके पदों को भी लिपिक के पद में परिवर्तित करने बारे प्रस्तुत प्रतिवेदन को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ रखने बारे ।

अस्वीकृत ।

मद संख्या 37: श्रीमती श्वेता राजपूत स्वयं पोषित योजना के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यू.आई.आई.टी. विभाग में नियुक्त प्रोग्रामर को नियमित वेतनमान रू.15600-39100+5400 (ग्रेड पे) प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुशंसा हेतु प्रस्तुत ।

अस्वीकृत।

मद संख्या 38: Regularization of services of Dr. Nikhil Sharma (Information Officer) and Mr. Manoj Kumar Sharma (Technical Assistant), Sub-Distributed Information Centre (Bioinformatics Centre) Department of Biotechnology, Himachal Pradesh University, Shimla.

स्थगित।

मद संख्या 39: विश्वविद्यालय वित्त समिति के समक्ष कुक का एक पद नियमित आधार पर प्रदेश सरकार में प्रचलित वेतनमान रुपये 5910-20200+1900 (ग्रेड पे) एवं 09 नियत वेतन आधार से परिवर्तित कर अनुबंध आधार पर वेतनमान 5910-20200+1900 (ग्रेड पे) = रूपये 7810/- अनुबंध पारिश्रमिक में सृजित करने का मामला विचारार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

अनुमोदित। वित्त समिति द्वारा मद अनुरूप प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

मद संख्या 40: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय वित्त समिति की बैठक दिनांक 04.08.2017 की मद संख्या 34 के अंतर्गत श्रीमती लीना मिश्रा, Data Entry Operator के पक्ष में सृजित पद हेतु वेतनमान रूपये 10300-34800+1900 ग्रेड पे के स्थान पर प्रदेश सरकार में प्रचलित उक्त पद हेतु रूपये 5910-20200+1900 ग्रेड पे वेतनमान संशोधन का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं कार्योत्तर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

स्थगित।

मद संख्या 41: विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों में सहायक कुलसचिव की श्रेणी में आई वेतन विसंगतियों को दूर करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ /अनुशंसा हेतु प्रस्तुत

स्थगित।

मद संख्या 42: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा निदेशालय में मार्कर के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री बलदेव चन्द को व्यक्तिगत क्रमोन्नत कर खेल निरीक्षक एवं भंडार सहायक (Sports Supervisor-cum-Stock Assistant) के पद पर वेतनमान रुपये 10300-34800+4200 ग्रेड पे प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है ।

स्थगित।

मद संख्या 43: विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान में पहले से ही नियुक्त गैर शिक्षक वर्ग (तृतीय एवं चतुर्थ) श्रेणी कर्मचारियों के पदों को स्वः पोषित योजना के अन्तर्गत सृजित करने के लिये मामला वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

वित्त समिति ने विश्वविद्यालय विधिक अध्ययन संस्थान में स्वयं पोषित निधि के अंतर्गत मद अनुरूप निम्नलिखित पदों को सृजित करने की कार्योत्तर **स्वीकृति** प्रदान की।

क्रम सं.	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	लिपिक	5910-20200+1900 (ग्रेड पे)	2
2.	पुस्तकालय परिचर	4900-10680+1300 (ग्रेड पे)	2
3.	सेवादार	4900-10680+1300 (ग्रेड पे)	2
4.	चौकीदार	4900-10680+1300 (ग्रेड पे)	1
5.	माली	4900-10680+1300 (ग्रेड पे)	1
6.	सफाई कर्मचारी	4900-10680+1300 (ग्रेड पे)	2
7.	कंप्यूटर प्रयोगशाला परिचर	5910-20200+1900 (ग्रेड पे)	1

मद संख्या 44: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कार्यरत निजी स्टाफ के अधिकारियों /कर्मचारियों को अगले उच्च पद पर व्यक्तिगत क्रमोन्नति प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमति हेतु प्रस्तुत ।

स्थगित।

अतिरिक्त मद

मद संख्या 1: विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों अर्थात संयुक्त-कुलसचिव, अतिरिक्त वित्त अधिकारी का योजना एवं विकास अधिकारी तथा अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक के समकक्ष व वेतनमान रू. 37400-67000+8900 ग्रेड पे और उप कुलसचिव व सहायक कुलसचिव के क्रमश: दो और पांच पदों का प्रचलित भर्ती एवं पदोन्नति नियमों तथा वेतनमान में सृजन बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है ।

स्थगित।

मद संख्या 2: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के विस्तारिकरण के फलस्वरूप अतिरिक्त कार्यबोझ के मध्यनजर गैर-शिक्षक कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु अध्यक्ष, गैर-शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रत्यावेदन के अनुरूप विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है ।

मद पर चर्चा उपरांत समिति द्वारा 50 पद लिपिक वेतनमान 5910-20200 +1900 ग्रेड पे पर **सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की । शेष पदों के सृजन** हेतु मामले को पूर्ण तथ्यों व **पूर्ण औचित्य सहित विश्वविधालय के वित्तीय संसाधनों को ध्यान** में रखते हुए वित्त समिति की **आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की संस्तुति प्रदान की ।**

मद संख्या 3: वित्त समिति के समक्ष हि.प्र. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला के लिए स्वयं पोषित निधि से गैर-शिक्षक के विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन बारे ।

वित्त समिति द्वारा हि.प्र. विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केन्द्र धर्मशाला में स्वयं पोषित निधि के अंतर्गत एक पद लिपिक, एक पद माली, दो पद चौकीदार, एक पद सेवादार तथा खेल कूद प्रभारी का एक पद सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 4: कार्यकारिणी परिषद की दिनांक 6.6.2018 को हुई विशेष बैठक में यथा-स्थान की गई चर्चा/निर्णयानुसार लिपिक के पद पर पदोन्नति हेतु लिपिक के भर्ती एवम पदोन्नति नियमों के अन्तर्गत पदोन्नति हेतु निर्धारित 10 प्रतिशत कोटे में पूर्व की भांति छूट प्रदान कर पदोन्नत करने बारे मामला सम्पूर्ण तथ्यों सहित वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवम जो भी उचित निर्णय हो हेतु रखने बारे ।

वित्त समिति ने मद पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप डी) से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति हेतु भर्ती एवं पदोन्नति कोटे में आबंटित 10 प्रतिशत कोटे के अतिरिक्त एल.डी.आर. कोटे का 20 प्रतिशत एल.डी.आर. से न भर कर लिपिक सवर्ग के कुल स्वीकृत / सृजित पदों का 30 प्रतिशत (10 प्रतिशत+20 प्रतिशत एल.डी.आर. =232X30%=70 पद) पदोन्नति हेतु एक बार छूट देकर स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की, कि सभी पदोन्नत लिपिक 6 माह का Certificate in Computer Application प्राप्त करने के उपरान्त पदोन्नति की पुष्टि (Confirmation) सफल कम्प्यूटर टेस्ट पास करने के उपरान्त होगी। कार्य दक्षता / गुणवत्ता बनाए रखने के लिए 6 माह का Certificate in Computer Application लिपिक संवर्ग की भर्ती एवं पदोन्नति नियम का आवश्यक हिस्सा होगा। 70% पदों के तहत शेष रिक्त लिपिक/कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई.टी.) के पद सीधी भर्ती द्वारा अनुबन्ध आधार पर निर्धारित नियमों के अनुसार भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 10: To place before the Finance Committee the matter with regards to:

i) Allow the outstation resource persons as per MOU to travel by Railways (all classes) Shatabadi/Volvo bus/Taxi or travelling by own car, as per rule by allowing the exemption from the applicable pay scale/AGP/GP entitlement.

ii) The coaching fee to be charged from the students in proposal approved be considered as admission/registration fee.

व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त वित्त समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा SAMKALP नामक संस्था के साथ निष्पादित समझौता ज्ञापन (MOU) की धारा 2 का विलोपन Delete कर निम्नलिखित धारा अंकित करने की स्वीकृति प्रदान की।

The Resource Person deployed by SAMKALP for Pre-Coaching Civil Services Examinations/HAS Examination at Himachal Pradesh University Pre Examination Coaching Centre shall be entitled to travel by Railways (All Classes)/ Volvo/Shatabadi/Taxi or own car and the expenses incurred on this account shall be reimbursed as per actual including transit expenses i.e. Toll Tax etc. Daily Allowance and other charges shall be regulated with the rates applicable to the Highest Grade Officers of the State Government besides free boarding/ lodging facility in Faculty House of Himachal Pradesh University.

Provided further the Vice Chancellor is also authorized to accord approval to travel by any mode of transportation in special circumstances on merit with recorded reason.

The Finance Committee also accorded its approval to substitute the word "Coaching Fee" as Registration/Admission fee.

मद संख्या 19: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 15 मई, 2003 से पूर्व पारंपरिक नियमितिकरण (Notional Regularization) एवं तदर्थ आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि (GPF) एवं पेंशन लाभ प्रदान करने का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ ।

सूचना अपर्याप्त होने के कारण वित्त समिति ने मामले को सम्पूर्ण ब्योरे /तथ्यों सहित पुनः **प्रस्तुत करने कि अनुशंशा की।**

मद संख्या 20: श्री रवि कुमार राणा, चालक, पी.आर.सी., श्री सुरिन्द्र कुमार, चालक, बिजनेस स्कूल तथा श्री संजीव कुमार, चालक, एकीकृत हिमालयन अध्ययन संस्थान को विश्वविद्यालय में चालकों के सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय की मुख्य धारा में समायोजन का मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ ।

अनुमोदित ।

अतिरिक्त अनुक्रमणी भाग – II

मद संख्या 1. : To place before the Finance Committee the matter with regard to approve the scale of Rs. 15,600-39,100+6,000 (UGC) w.e.f 1.1.2006 as notional to those research staff (RI/F I) of the PRC Shimla who possess the Ph.D degree and have completed minimum 10 years length of service as recommended by Committee constituted by Hon'ble Vice-Chancellor, HP University, Shimla during its IV meeting held on 17th April, 2017 and approved by the Hon'ble Vice-Chancellor.

अनुमोदित। समिति ने संबन्धित कर्मचारियों के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत देय वितीय लाभ संबन्धित मंत्रालय की स्वीकृति के उपरांत प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की। इस संदर्भ में तकनीकी सलाहकार समिति के निर्णयनुसार अन्तिम प्रारुप निदेशक PRC कुलसचिव, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यांलय के परामर्श से तैयार कर सम्बन्धित मन्त्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 4 : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परिचालक के रिक्त पद को सीधी भर्ती द्वारा, अनुबंध आधार पर भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ एवं संस्तुति हेतु।

अनुमोदित । समिति ने परिचालक के एक पद को अनुबंध मु. 7810/- रुपए प्रतिमाह पर सीधी भर्ती द्वारा भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 6. : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के निर्माण विंग में कुशल व अर्ध कुशल श्रेणियों के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को समाहित (clubbing) कर तकनीशियन ग्रेड –I, तकनीशियन ग्रेड –II व कनिष्ठ तकनीशियन (संबन्धित संवर्ग), हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग की तर्ज़ पर समय –समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं के अनुरूप पदनामित करने उपरांत एवं वित्तीय लाभ प्रदान करने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनर्थ एवं संस्तुति हेतु ।

अनुमोदित। वित समिति द्वारा निर्माण विंग से सम्बन्धित कुशल व अर्धकुशल कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के कारण आई वसूली को सेवानिवृत्त तथा जिनका देहावसान हो चुका है के संदर्भ में वसूली (Recovery) माफ करने की स्वीकृति प्रदान की।

मद संख्या 7. : हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में अधिकारियों व तृतीय श्रेणी के संवर्गों में सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर या जैसा कि समिति उचित समझे, भरने बारे मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ/ अनुमोदनर्थ एवं संस्तुति हेतु ।

समिति ने निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की:-

Sr. No.	Name of post	Number of post	Mode of Recruitment
1.	Assistant Engineer (Civil)	2	The service of 2 Junior Engineers recommended to be engaged on contract basis against the post of Assistant Engineers (Pay Scale: 10300-34800+ 3800 GP)
2.	Assistant Architect	1	On Contract Basis (Pay Scale : 10300-34800+4200 GP) contract
3.	Medical Officer (Allopathic)	1	On Regular Basis (pay scale: 15600-39100+5400 GP)
4.	Junior Office Assistant (IT)	9	6 post of Steno and 3 posts of Junior Stenographer converted as JOA(IT) and approved to be filled up on contract basis. (pay scale: 5910-20200+1900 GP)
5.	Programmer	3	On Contract Basis (pay scale: 10300-34800+5000 GP)

मद संख्या 8. : विश्वविद्यालय में शिक्षक वर्ग के सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर भरे जाने वाले रिक्त पदों को विज्ञापित करने हेतु मामला वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनर्थ एवं प्रस्तुत करने के संदर्भ में ।

वित्त समिति द्वारा मद अनुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर व्यापक विचार–विमर्श उपरान्त निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के सभी विभागों (PG Centre, ICDEOL, HPUCES, RC Dharamshala, Directorate of Physical Education etc.) में रिक्त सहायक आचार्य के पदों को आवश्यकतानुसार नियमित आधार पर सीधी भर्ती द्वारा सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरान्त भरने की स्वीकृति प्रदान की।

<u>Spot item:</u> Regarding absorption of Teaching/Non-Teaching employees recruited under Self Financing Scheme/NRI funds/Projects in various Teaching Departments.

उक्त मद के संदर्भ में समिति ने अपनी असहमति प्रकट की तथा यह निर्णय लिया कि विभिन्न **विभागों, प्रोजेक्टों व स्वंय पोषित विभागों में कार्यरत कर्मचारियों** को विश्वविद्यालय की मुख्य

धारा में जोड़ने हेतु मामले को पूर्ण तथ्यों सहित पुनः वित्त समिति के समक्ष आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की ।

निम्नलिखित मदें (Agenda Items) समयभाव के कारण स्थगित की गईः –

अतिरिक्त मद संख्या (भाग– I): 5,6,7,8,9,11 से 18 तथा 21
अतिरिक्त मद संख्या भाग –II: 2,3,5,तथा 9

बैठक धन्यवाद प्रस्ताव सहित सम्पन्न हुई ।

(नरेन्द्र ठाकुर)
सदस्य

(डॉ. जे. एस. नेगी)
सदस्य

(Navneet Kapoor)
नामांकित (सचिव शिक्षा)

(आचार्य एस. के. महाजन)
सदस्य

(आचार्य सतीश चंद भडवाल)
सदस्य

(सुभाष ठाकुर, विधायक)
सदस्य

(अनिल कुमार खाची, आई.ए.एस.)
अति.मुख्य सचिव (वित्त) सदस्य

(आचार्य राजेन्द्र सिंह चौहान)
प्रति-कुलपति

पुष्टीकरण

(आचार्य सिकन्दर कुमार)
कुलपति,
हि.प्र. विश्वविद्यालय, शिमला-5